भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.टीसी-I/2019/201/2 नई दिल्ली, दिनांक 27.03.2020

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

विषय: स्थान शुल्क और विलंब शुल्क नियमों में छूट।

संदर्भ: (i) दर मास्टर परिपत्र/डेमरेज-व्हारफेज़-वेवर/2016/0 और शुद्धिपत्र।
(ii) दर मास्टर परिपत्र/सीआरटी-सीसीआर-हब एवं स्पोक/2015/0 और शुद्धिपत्र।
(iii) बोर्ड का पत्र ई-ऑफिस सं.667735/2020 दिनांक 23.03.2020

कृपया बोर्ड के उक्त संदर्भाधीन पत्र (iii) का अवलोकन करें, जिसमें स्थान शुल्क और विलंब शुल्क नियमों में 31.03.2020 तक छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 19.02.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.18/4/2020-पीपीडी में 'अप्रत्याशित घटना से तात्पर्य असाधारण घटनाओं या मानव नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से है जिसे दैवी घटना (जैसे प्राकृतिक आपदा) माना गया है', इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट किया गया है कि कोरोना वायरस फैलने को प्राकृतिक आपदा माना जाए और कृपया अप्रत्याशित घटना की धारा लगाई जाए।

बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र/परिपत्रों के आंशिक आशोधन में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि 22.03.2020 से 14.04.2020 की अवधि को अप्रत्याशित घटना माना जाए और इस अवधि के लिए नीचे दिए गए कोई भी प्रभार वसूल न किए जाएं।

प्रभार का नाम	संगत पैरा	परिपत्र
स्थान शुल्क	अध्याय-I का 3.0	दर मास्टर परिपत्र/डेमरेज-व्हारफेज़-वेवर/2016/0 और शुद्धिपत्र
विलंब शुल्क	अध्याय-II का 4.0, 5.2	
स्टैकिंग	अध्याय-II का 7.7, 7.8, 7.12	
निजी/संयुक्त स्वामित्व स्टॉक के मामले में स्टेबलिंग, डेमरेज	अध्याय-I का 6.3, 7.1, 7.2	
पार्सल यातायात पर स्थान शुल्क	3.3	2019 का दर परिपत्र सं.69 और शुद्धिपत्र
पार्सल यातायात पर विलंब शुल्क	2.5	
कंटेनर यातायात के मामले में रूकौनी प्रभार	अध्याय-I का 3.2.6	दर मास्टर परिपत्र/सीआरटी-सीसीआर-हब एवं स्पोक/2015/0 और शुद्धिपत्र
कंटेनर यातायात के मामले में भू उपयोगिता प्रभार	अध्याय-I का 3.3.7, 3.4.2, 3.4.3	

क्षेत्रीय रेलें इसके लिए राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ समन्वय करें ताकि अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई बनाए रखने के उद्देश्य से लॉजिस्टिक सहायता सुनिश्चित की जा सके।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

ह./-
(शिल्पी बिश्नोई)
निदेशक यातायात वाणिज्य (दर)
रेलवे बोर्ड

Scanned by CamScanner